न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः— दीनदयाल बाकोलिया आर.ए.एस.

वाद संख्याः— 49 सन् 2016

1. आसीदेवी पत्नि स्व. जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र स्व. जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. जोगाराम पुत्र स्व. जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. प्रभुराम पुत्र स्व. जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. सरला पुत्री स्व. जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.....वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व राजस्व रेकार्ड में संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :—

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. तहसीलदार बीदासर प्रतिवादी संख्या 2

—: निर्णय :—

दिनांकः— 28.03.2018

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि वादीगण के ससुर दादा एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जगराम के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 97 तादादी 50—10 बीघा, खसरा संख्या 109 तादादी 19—00 बीघा, खसरा संख्या 260 तादादी 24—10 बीघा, खसरा संख्या 507 तादादी 38—14 बीघा कुल किता 4 कुल तादादी 132—14 बीघा वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे आगे वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। स्व. जगराम के तीन पुत्र कमशः जोराराम, रामलाल एंव

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

नरसीराम पैदा हुए। नरसीराम जगराम के जीवनकाल में हुकमाराम के गोद चला गया। हुकमाराम की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 123 तादादी 61 इकसठ बीघा 14 चौदह बिश्वा रोही अमरसर हिन्दु दतक अधिनियम तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार नरसीराम को प्राप्त हुई। इस प्रकार नरसीराम का हिस्सा हुकमाराम की चल व अचल सम्पति में हो गया तथा स्व. जगराम की चल व अचल सम्पति में सें नरसीराम का हक हिस्सा हुकमाराम के गोद चले जाने से कानूनन समाप्त हो गया। जगराम के स्वर्गवास के पश्चात् राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से जगराम के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 97 तादादी 50–10 बीघा, खसरा संख्या 109 तादादी 19–00 बीघा, खसरा संख्या 260 तादादी 24–10 बीघा, खसरा संख्या 507 तादादी 38–14 बीघा कुल किता 4 कुल तादादी 132–14 बीघा वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू का नामान्तरकरण वादीगण के पति पिता जोराराम के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के 1/3 हिस्सा एंव नरसीराम के 1/3 हिस्सा पांति खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दी जो खिलाफ कानुन दर्ज हुई है। इस कारण वादीगण के पति पिता जोराराम एंव प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल ने एक राजस्व वाद संख्या 87/2000 उनवानी जोराराम आदि बनाम नरसीराम आदि बाबत राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु माननीय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुजानगढ में प्रस्तुत किया जो दिनांक 8.1.2004 को निर्णित होकर वाद वादीगण डिक्री फरमाया गया तथा मुताबिक डिक्री व निर्णय के वादगत खेतों की खातेदारी में सें नरसीराम का नाम हटाया जाकर वादगत खेतों की खातेदारी वादीगण के पति पिता स्व. जोराराम एंव प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 दौ को फरमाया गया। मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.2004 के वादगत खेतों की खातेदारी वादीगण के पति पिता स्व. जोराराम एंव प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के नाम ब.हि.ब. राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी मगर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.2004 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 235 भरा गया। राजस्व कर्मचारीयों ने गफलत एंव खिलाफ कानुन नामान्तरकरण संख्या 235 में वादीगण के पति पिता स्व. जोराराम के 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि की बजाय 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि की बजाय 2/3 हिस्सा भूमि का भरकर प्रतिवादी संख्या 2 दौ के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने बिना किसी जांच के नामान्तरकरण संख्या 235 को दिनांक 8.4.2004 को स्वीकृत कर दिया तथा उसकी पालना में पटवारी हल्का अमरसर ने राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया जो खिलाफ कानुन एंव न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.2004 के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त है जिसे निरस्त फरमाया जावे। वादीगण के पति पिता जोराराम का स्वर्गवास हो चुका है। जोराराम के स्वर्गवास पश्चात् उनकी 1/3 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

भूमि में विरास्तन नामान्तरकरण द्वारा वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुके है। वादगत खेत वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त हिन्दु परिवार के पैतृक अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के है। वादगत खेतों के वादीगण संयुक्त 1/2 हिस्सा के खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भी 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक है इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रेकार्ड को संशोधन करवाकर अपने नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित करायें। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से काफी बार मौखिक निवेदन किया कि वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रेकार्ड की खातेदारी में संशोधन करायें। प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो टालम टाल करता रहा तथा दिनांक 20.08.2016 को स्पस्ट रूप से इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को ऐलानियां तोर पर धमकियां दी कि वोह वादगत खेतों से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा करेगा इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को वर्जित फरमाया जावे कि वादीगण के 1/2 हिस्सा की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का करायें जिससे वादीगण के वैध कानुनी अधिकारों के विपरीत असर पडें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.08.2016 की ऐलानियां धमकियां देने से वादीगण को वाद हेतु प्राप्त है। वाद में वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति है जिसमें वादीगण 1/2 हिस्सा के खातेदार कृषक है। इसलिए वर्तमान अंकन को निरस्त कर वादगत भूमि में वादीगण की 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड में अंकित की जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ पर्याप्त समय देकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज ने प्रकरण में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया है। इस दावा में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए इस दावा में तनकीयात कायम नहीं की गई। वाद के समर्थन में वादी संख्या 03 जोगाराम व वादी संख्या 04 प्रभुराम ने अपने शपथ पत्र पेश कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का निवेदन किया, जिसे शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2071–2074,, नकल नक्शा किश्तवार, नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 08.04.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 08.01.2004 सहायक कलक्टर सुजानगढ आदि पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने मुताबिक पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, निर्णय दिनांक 8.1.2004 एंव साक्ष्य वादीगण के आधार पर वादीगण का वाद का डिक्री करने का निवेदन किया तथा नामान्तरकरण संख्या 235 के आधार पर किये गये अंकन को निरस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादीगण के ससुर दादा स्व. जगराम के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुस्तेनी भूमि है जो पहले वादीगण के ससुर दादा व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्व. जगराम के खातेदारी अधिकार की थी। स्व. जगराम के तीन पुत्र जोराराम रामलाल नरसीराम पैदा हुए। स्व. जगराम के जीवनकाल में ही नरसीराम हुकमाराम के गोद चला गया। गोद जाने के बाद गोदपुत्र का अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। इस बाबत सहायक कलक्टर सुजानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2004 में वादगत भूमि से नरसीराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हजफ करने का आदेश दिया था तथा उस आदेश की पालना में प्रतिवादी संख्या 02 ने नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 8.4.2004 को स्वीकृत किया, लेकिन निर्णय की पालना सही तरीके से नहीं की गई। क्योंकि स्व. जगराम के तीन पुत्रों का वागदत भूमि में नामान्तरकरण संख्या 235 से पहले ब.हि.ब. दर्ज था। निर्णयानुसार स्व. जगराम के एक पुत्र नरसीराम के गोद चले जाने से पिछे दोनों पुत्रों का ब.हि.ब. राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था जो नहीं हुआ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह ताईद होता है कि वादगत भूमि पहले जगराम पुत्र करनाराम के नाम से थी। जगराम की मृत्यु होने के बाद वादगत भूमि विरास्त में जोराराम रामलाल नरसीराम के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज हुई। तीनों भाइयों के नाम नामान्तरकरण होने के बाद नरसीराम हुकमाराम के गोद चला गया तथा गोद चले जाने के बाद वादगत भूमि मुताबिक निर्णय दिनांक 8.1.2004 के आधार पर जोराराम व रामलाल के 1/2–1/2 में दर्ज होनी थी जो नहीं हुई इस कारण निर्णय दिनांक 8.1.2004 की पालना में किया गया नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 8.4.2004 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत दावा में न्यायालय के समक्ष आई सम्पूर्ण जानकारी से यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त हिन्दु परिवार की होने का किसी भी प्रकार का कोई खण्डन या विरोध इस पत्रावली पर नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादपत्र के तथ्यों का समर्थन होता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 बावजुद तामिल व पर्याप्त समय देने के बावजुद हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर उनका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 ने

उपखण्ड अधिकारी
सीकार (चूरू)